संख्या-08/2020/122/71-2-2020-आर0एम0-10/2015 टी0सी0

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊःदिनांक 17 जनवरी, 2020

विषयः- डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में आफिस सुपरिन्टेण्डेन्ट के एक पद को समाप्त करते हुए उसके स्थान पर सहायक कार्मिक अधिकारी के 01 पद का सृजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक-206/Estb.(Gen)/RMLIMS/2019, दिनांक 11 अप्रैल, 2019 तथा पत्रांकः-1968/ Estb.(Gen)/RMLIMS/2019 दिनांक 16 अगस्त, 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में सृजित 58 पदों को पिरेमिडिकल ढॉचा के अनुरूप व्यवस्थित किये जाने हेतु आफिस सुपरिन्टेण्डेन्ट के सृजित 01 पद (वेतनमान-9300-34800 ग्रेड वेतन-4200) को समाप्त करते हुए उसके स्थान पर सहायक कार्मिक अधिकारी के 01 पद (वेतनमान-9300- 34800 ग्रेड वेतन-4600/-) को सृजित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-4673/71-2-16-आरएम-10/2015 दिनांक 16 नवम्बर, 2016 द्वारा संस्थान में विभिन्न श्रेणी (गैर शैक्षणिक) के पदों का सृजन किया गया है। उक्त सृजित पदों में से आफिस सुपरिन्टेण्डेन्ट, वेतनमान-9300-34800 ग्रेड वेतन-4200 के सृजित 01 पद को समाप्त करते हुए उसके स्थान पर सहायक कार्मिक अधिकारी का 01 पद, वेतनमान-9300-34800 ग्रेड वेतन-4600/-में सृजित किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रस्तावित पद मानकों तथा कार्यात्मक/वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप है।
2. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पद का वेतनमान/पदनाम विद्यमान सुसंगत शासनादेशों/ दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।
3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-46/दस-2020 दिनांक 13 जनवरी, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(अनिल कुमार सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-08/2020/122 (1)/71-2-20, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- वित्त अधिकारी, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
6- वित्त (वेतन आयोग)अनुभाग-2/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
7- प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।